

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर
23/2020/प्रा.पत्र/2020

तारीख दायरा
16.03.2021

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
10.09.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

बनाम

..... प्रार्थी

1-श्री सुभाष कुमार मित्तल पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अरविन्द ब्रदर्स पुरानी सरस डेयरी के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी सुभाष मार्केट वार्ड 11 मालपुरा जिला टोंक राज0

2-मैसर्स अरविन्द ब्रदर्स पुरानी सरस डेयरी के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011
उपस्थित-

1-प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2-अप्रार्थी उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 10.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.01.2020 को वास्ते निरीक्षण मैसर्स अरविन्द ब्रदर्स पुरानी सरस डेयरी के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0पर पहुंचा। विक्रेता की हैसियत से सुभाष कुमार मित्तल पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अरविन्द ब्रदर्स पुरानी सरस डेयरी के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी सुभाष मार्केट वार्ड 11 मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में तिल ऑयल (तिल्ली का तेल) लड्डा जी महेश ब्राण्ड टिन पैक (Til Oil Ladda Ji Mahesh Brand Tin Pack) जिसके बैच नं0 अनुपस्थित व पैकिंग दिनांक अनुपस्थित अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री सुभाष कुमार मित्तल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस



1323



देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सुभाष कुमार मित्तल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में 15-15 किलोग्राम के 2 टिन तिल ऑयल (तिल्ली का तेल) लड्डा जी महेश ब्राण्ड टिन पैक (Til Oil Ladda Ji Mahesh Brand Tin Pack) रखे हुये में से एक टिन का चयन कर टिन को खोलकर 1600 ग्राम इलेक्ट्रोन मशीन से एक प्लास्टिक के जग में तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता श्री सुभाष कुमार मित्तल को रु0 160/-अक्षरे एक सौ साठ रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा तिल ऑयल (तिल्ली का तेल) लड्डा जी महेश ब्राण्ड टिन पैक (Til Oil Ladda Ji Mahesh Brand Tin Pack) 1600 ग्राम को प्लास्टिक की चार साफ व सूखी शिशियो में 400-400 ग्राम वाट मापक से तुलवाकर भरकर, शिशियो के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2401 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2401 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता सुभाष कुमार मित्तल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/270 दिनांक 29.01.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस10/81/एक्ट/2020/144 दिनांक 24.01.2020 अनुसार सुभाष कुमार मित्तल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया तिल ऑयल (तिल्ली का तेल) लड्डा जी महेश ब्राण्ड टिन पैक (Til Oil Ladda Ji Mahesh Brand Tin Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(I) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।



अतिरिक्त जिला मंजिस्ट्र
टोंक

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का तिल ऑयल (तिल्ली का तेल) लड्डा जी महेश ब्राण्ड टिन पैक (Til Oil Ladda Ji Mahesh Brand Tin Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसा तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस तिल ऑयल (तिल्ली का तेल) लड्डा जी महेश ब्राण्ड टिन पैक (Til Oil Ladda Ji Mahesh Brand Tin Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया तिल ऑयल (तिल्ली का तेल) लड्डा जी महेश ब्राण्ड टिन पैक (Til Oil Ladda Ji Mahesh Brand Tin Pack) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री सुभाष कुमार मित्तल पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स अरविन्द ब्रदर्स पुरानी सरस डेयरी के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज० निवासी सुभाष मार्केट वार्ड 11 मालपुरा जिला टोंक राज० पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



10-9-2021
(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०